



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

एएफआर

रिट-ए सं0-4164 वर्ष 2024

श्रीमती शांति देवी तथा 3 अन्य

..... याची(गण)

बनाम

राज्य काडर प्राधिकारी उ0प्र0 प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी

सोसायटीज लखनऊ तथा 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : अशोक कुमार यादव, बलराम यादव,
संतोष कुमार यादव वारसी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : जयविन्द सिंह राठौर, मुख्य स्थायी
अधिवक्ता, नीरज चैरसिया

न्यायालय सं0 18

मा0 श्री प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति

1. याची के अधिवक्तागण श्री बलराम यादव तथा श्री लालजी यादव द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संतोष कुमार यादव "वारसी", प्रत्यर्थी सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री जे0एस0 राठौर, प्रत्यर्थी सं0 2 तथा 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष कुमार को सुना। यद्यपि श्री नीरज चैरसिया का नाम प्रत्यर्थी सं0 4 तथा 5 के लिए पदार्शित किया गया है, लेकिन प्रत्यर्थी सं0 4 तथा 5 के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ है।
2. वर्तमान रिट याचिका को क्रमशः प्रत्यर्थी सं0 2, 3 तथा 4 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.11.2023, 01-11-2023 तथा 17-10-2023 पर अभ्याक्रमण करते हुए दाखिल किया गया है।
3. याची के विद्वान अधिवक्ता का प्रतिविरोध यह है कि याचीगण मृतक कर्मचारी अर्थात स्व0 राम लक्ष्मण यादव के विधिक उत्तराधिकारीगण हैं, जिसे वर्ष 1977 में सेक्रेटरी, साधन सहकारी समिति, जिला फैजाबाद के रूप में नियुक्त किया गया था तथा तब से, इसने पूरे समर्पण तथा निष्ठा के साथ कई साधन सहकारी समिति में सेक्रेटरी के पद पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था तथा इसका आचरण तथा कार्य हमेशा निष्कपट था।
4. इन्होंने आगे तर्क दिया है कि याची सं0 1 का पति 15-08-2018 को मर गया था, तत्पश्चात, सेवानिवृत्ति बकाया के भुगतान हेतु अवसर पैदा हुआ था तथा एक बार यह याचीगण द्वारा ईप्सित था, इसका खण्डन दोनों बहाना पर किया गया है तथा अंततोगत्वा, एक बार रिट सं0 17506 वर्ष 2018 में 14-09-2023 को आदेश पारित किया गया था, काडर प्राधिकारी तथा रजिस्ट्रार ने आदेश दिनांक 02-11-2023 तथा 01-11-2023 द्वारा विवादक का विनिश्चय किया है।
5. आगे निवेदन यह है कि विवाद प्राधिकार के अवधारण के संबंध में है कि कौन वास्तव में स्व0 राम लक्ष्मण यादव के वेतन के बकाया तथा अन्य देयों को अदा करने के लिए सक्षम है, जिसके लिए याचीगण हकदार हैं।
6. इन्होंने निवेदन किया है कि प्राधिकार के संबंध में विवाद, किस पर यह वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु सहायता करने के लिए आवश्यक है को विशेष अपील त्रुटिपूर्ण सं0 57 वर्ष 2022 में पारित निर्णय तथा आदेश दिनांक 26-09-2022 में इस न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा निपटाया गया है।
7. पूर्वोक्त पर भरोसा रखते हुए, इन्होंने निम्न सुसंगत पैरा को निर्दिष्ट किया है:-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



“राज्य काडर प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व करने वाला विद्वान अधिवक्ता नियमावली 2006 के नियम 4 (iii) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के संबंध में किसी आदेश को प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं रहा है, जिसे उक्त नियमावली के नियम 8 के अन्तर्गत संदेहों तथा कठिनाइयों को दूर करते हुए जारी किया गया है। अन्यथा भी, हमने पहले ही नियमावली 2006 के स्कीम का उल्लेख किया है तथा कालक्रमिक गतिविधि को भी ध्यान में रखा है जो काडर सेक्रेटरी के वेतन के भुगतान के दायित्व को निर्धारित करने के संबंध में हुआ था, जो केन्द्रीकृत सेवा के सदस्यगण है। जैसा पहले ही ऊपर चर्चा की गई है तथा हमने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है कि नियम 4(iii) के अन्तर्गत 2006 नियमावली के अन्तर्गत सृजित खाता पर प्रभारित दायित्व प्रबंधकीय खर्चों के लिए प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसाइटी को सहायता उपलब्ध कराना है जहाँ से काडर सेक्रेटरी को वेतन/वेतन के बकाया का भुगतान अतीत में भी किया जाना चाहिए, इस प्रकार की सहायता जैसा 2006 नियमावली के नियम 4(iii) के अन्तर्गत विचारित है, काडर सेक्रेटरीज को वेतन का भुगतान करने के प्रयोजन हेतु प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटी को उपलब्ध कराया गया है।

जहाँ तक अभिदायी भविष्य निधि तथा समूह बीमा स्कीम से संबंधित धनराशि के भुगतान का संबंध है, यह प्रमुख रूप से नियुक्ति प्राधिकारी का दायित्व न केवल संबंधित कर्मचारियों के अभिदायी अंश का कटौती करना बल्कि अपने स्वयं के अंश का जमा करना होता है। काडर सेक्रेटरी जो केन्द्रीकृत सेवा के सदस्यगण है का नियुक्ति प्राधिकारी जिला प्रशासनिक समिति होता है तथा तदनुसार सीपीएफ तथा समूह बीमा स्कीम से संबंधित धनराशि जिला प्रशासनिक समिति का दायित्व है।

पूर्वोक्त के दृष्टिगत, इन सभी विशेष अपीलों को रिट याचिका सं० 2190 (एस/एस) वर्ष 2014 में विद्वान एकल न्यायमूर्ति द्वारा पारित निर्णय तथा आदेश दिनांक 03-12-2018 में निम्न उपांतरण के साथ निपटाया जाता है जैसा आदेश दिनांक 03-12-2018 द्वारा संशोधित/उपांतरित किया गया है।

(i) जहाँ तक वर्ष 2008 से याची-हनुमान सिंह के सेवानिवृत्ति के उम्र तक वेतन के बकाया के भुगतान का संबंध है, यह 30प्र0 सहकारी ऋण संरचना प्रबंधन तथा विकास नियमावली 2006 के नियम 4(iii) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार साधन सहकारी समिति लिमिटेड, खुशेहती, विकास प्रखण्ड-बंकी जिला बाराबंकी को सहायता उपलब्ध कराना राज्य काडर प्राधिकारी का दायित्व होगा। काडर प्राधिकारी तदनुसार इस आदेश के प्रमाणित प्रति को दिये जाने की तिथि से तीन माह के अन्दर इस निर्णय तथा आदेश के अन्तर्गत अपने दायित्व को पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठायेगा। तदनुसार, वेतन के बकाया का भुगतान अगले 4 सप्ताह के अन्दर प्रत्यर्थी सं० 1/याची-हनुमान सिंह को किया जायेगा।

(ii) इसी प्रकार, जिला प्रशासनिक समिति अभिदायी भविष्य निधि तथा समूह बीमा स्कीम के धनराशि का भुगतान तीन माह के अन्दर सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठायेगा। खर्चों के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।”

8. पूर्वोक्त को निर्दिष्ट करते हुए, इन्होंने निवेदन किया है कि इस न्यायालय के खण्डपीठ द्वारा स्पष्टतया कहा गया है कि 30प्र0 कृषि सहकारी ऋण संरचना प्रबंधन तथा विकास नियमावली 2006 (एतस्मिन् पश्चात नियमावली 2006 के रूप में निर्दिष्ट) के अन्तर्गत सृजित ‘खाता’ नियम 4(पप) उपबंध करता है कि प्रबंधकीय खर्च प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसाइटी के काडर सेक्रेटरी को वेतन के भुगतान के लिए है। इन्होंने आगे निवेदन किया है तथा 30प्र0 कृषि सहकारी ऋण संरचना प्रबंधन तथा विकास नियमावली 2006 की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटीज केन्द्रीकृत सेवा नियमावली 1976 (एतस्मिन्पश्चात नियमावली 1976 के रूप में निर्दिष्ट) में संशोधन है। नियमावली 2006 को एतस्मिन्निम्न उत्कथित किया जाता है:-

“(1) संक्षिप्त शीर्षक लागू होना तथा आरंम्भ- (1) इन नियमावली को उत्तर प्रदेश कृषि सहकारी ऋण संरचना प्रबंधन तथा विकास नियमावली 2006 कहा जा सकता है।

(2) यह उत्तर प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1965 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 वर्ष 1966) के अन्तर्गत पंजीकृत या पंजीकृत माने गये सभी कृषि सहकारी सोसायटियों, जिला

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सहकारी बैंकों तथा खाता में योगदान करने वाले सभी सहकारी सोसायटियों जैसा इन नियमावली के अन्तर्गत स्थापित है पर लागू होगा।

(3) यह राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. परिभाषा, इस नियमावली में जब तक संदर्भ अन्यथा आपेक्षित न हो-

(क) "जिला प्रशासनिक समिति" उत्तर प्रदेश प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटीज केन्द्रीकृत सेवा नियमावली 1976 के नियम 7 के उप-नियम (4) के अन्तर्गत गठित समिति से अभिप्रेत है।

(ख) "जिला सहकारी बैंक" केन्द्रीय सहकारी बैंक से अभिप्रेत है जिसका प्रधान कार्यालय जिला मुख्यालय में होता है।

(ग) "खाता" उत्तर प्रदेश कृषि सहकारी ऋण संरचना प्रबंधन तथा विकास नियमावली नियमावली के अन्तर्गत स्थापित खाता से अभिप्रेत है।

(घ) "राज्य काडर प्राधिकारी" 30प्र0 प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटी केन्द्रीकृत सेवा नियमावली 1976 के नियम 7 के उप-नियम(2) के अन्तर्गत गठित समिति से अभिप्रेत है।

(ङ.) "सदस्य सेक्रेटरी" प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ से अभिप्रेत है।

(च) उत्तर प्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1965 के अन्तर्गत पंजीकृत सोसायटी तथा जिला/केन्द्रीय सहकारी ऋण सोसायटी तथा जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक।

3. खाता, उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक लिमिटेड, लखनऊ में खाता का सम्पोषित रखा जायेगा अंशदान नीचे नियम 5 में विहित के अनुसार होगा।

4. उद्देश्य खाता का उद्देश्य- खाता में निधि का उपयोग अन्य बातों के साथ निम्न प्रयोजन हेतु किया जा सकता है -

1. अधिसूचना सं० 3253/गस्पृग् -1-06 दिनांक 6 नवम्बर 2006, प्रकाशित 30प्र0 राजपत्र असाधारण भाग-5 खण्ड (ख) दिनांक 6 नवम्बर 2006 द्वारा

(i) विकास, वाणिज्यिक विस्तार तथा सोसायटी के आत्म निर्भरता हेतु कार्य योजना तैयार करना तथा इन प्रयोजन हेतु शेयर पूंजी, अतिरिक्त राशि, अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋण इत्यादि को बट्टे खाते में डालने के रूप में अपेक्षित सहायता उपलब्ध कराना।

(ii) 30प्र0 प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटी केन्द्रीकृत सेवा काडर विधिक खर्च के निलंबित सेक्रेटरीयों के जीवन-निर्वाह भत्ता के भुगतान हेतु तथा प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटी सेक्रेटरीयों के भविष्य निधि तथा समूह बीमा स्कीम में अंशदान जमा करने हेतु जिला प्रशासनिक समिति को सहायता उपलब्ध कराना।

(iii) प्रबंधकीय खर्चों हेतु प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटीयों को सहायता उपलब्ध कराना।

(iv) शेयर मनी या ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कमजोर जिला सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

5. खाता में अंशदान- खाता निम्नवत् गठित किया जायेगा-

(1) जिला प्राथमिक केन्द्रीकृत सेवा निधि जो इन नियमों के अस्तित्व में आने के पहले विद्यमान था में उपलब्ध अधिशेष धनराशि से रजिस्ट्रार के निदेशानुसार धनराशि के अन्तरण द्वारा

(2) समय-समय पर रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित दर पर सभी जिला सहकारी बैंको, 30प्र0 सहकारी बैंक तथा अन्य शीर्ष संस्था द्वारा किया गया अंशदान।

(3) अन्य स्रोतों से वित्तीय सहायता का अंशदान,"

9. पूर्वोक्त को निर्दिष्ट करते हुए, इन्होंने निवेदन किया है कि खण्ड 4(ii) में, यह उपबंधित है कि जहाँ तक नियमावली 2006 के खण्ड 3 में उल्लिखित 'खाता' का संबंध है, जो 30प्र0 प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटी, केन्द्रीकृत सेवा तथा काडर विधिक खर्चों के निलंबित सेक्रेटरीयों के जीवन निर्वाह भत्ता के भुगतान हेतु तथा प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटी के समूह बीमा स्कीम तथा भविष्य निधि में अंशदान को जमा करने हेतु जिला प्रशासनिक समिति को सहायता उपलब्ध कराने हेतु है तथा आगे नियमावली 2006 के खण्ड 4 के उप-खण्ड 3 में प्रबंधकीय खर्चों का भी उपबंध किया गया है, जिसका निर्वर्चन इस न्यायालय के समन्वय खण्डपीठ द्वारा निर्णय

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तथा आदेश दिनांक 26.09.2022 में किया गया है। इन्होंने आगे कहा है कि पूर्वोक्त निर्णय तथा आदेश पर अभ्याक्रमण संबंधित विभाग द्वारा मा0 शीर्ष न्यायालय के समक्ष किया गया था, जिसमें विशेष अनुमति याचिका सं0 3332 वर्ष 2023 में विशेष अनुमति याचिका को आदेश दिनांक 10-02-2023 द्वारा खारिज किया गया है। इन्होंने निवेदन किया है कि इस प्रकार निर्णय तथा आदेश दिनांक 26-02-2022 अंतिमता प्राप्त कर चुका है तथा प्रत्यर्थी विभाग स्वयं को इस न्यायालय के समन्वय खण्डपीठ द्वारा अधिकथित पूर्वोक्त विधि बचा नहीं सकता है।

10. इन्होंने आगे कहा कि आक्षेपित आदेश दिनांक 02.11.2023, 01.11.2023 तथा पश्चातवर्ती आदेश विधि के सुस्थापित प्रतिपादना के विरुद्ध है जैसा निर्णय तथा आदेश दिनांक 26.09.2022 में अभिनिर्धारित किया गया है, इसलिए, निवेदन यह है कि पूर्वोक्त आदेशों को अभिखंडित किया जा सकता है तथा अधिकारियों को याचीगण के दावों पर विचार तथा विनिश्चय खण्डपीठ द्वारा सुस्थापित विधि के अनुसार करने का निदेश दिया जा सकता है।
11. दूसरी तरफ, प्रत्यर्थी सं0 1 के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री जयविन्द सिंह राठौर ने पूर्वोक्त तर्कों का विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि जहाँ तक नियम 2003 का संबंध है, जो नियमावली 1976 में संशोधन भी है स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सं0 1 के पास काडर सेक्रेटरियों को वेतन का भुगतान करने का अधिकार नहीं है तथा मात्र कुछ निधियों का संचालन प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा किया जा रहा है तथा अधिकार प्रत्यर्थी सं0 2 में निहित है, इसलिए, काडर सेक्रेटरियों को वेतन के संबंध में भुगतान प्रत्यर्थी सं0 1 द्वारा नहीं दिया जा सकता है।
12. राज्य के लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष कुमार ने भी प्रत्यर्थी सं0 1 के अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया है तथा निवेदन किया है कि काडर सेक्रेटरियों के वेतन के भुगतान के संबंध में दायित्व प्रत्यर्थी सं0 5 अर्थात् साधन सहकारी समिति लि0 में निहित है क्योंकि कोष को इनके अपने स्रोतों से जनित तथा पैदा किया जा रहा है। इन्होंने निवेदन किया है कि संशोधित नियम 4 वर्ष 2003 प्रत्यर्थी अधिकारी द्वारा आदेश पारित करते समय निर्दिष्ट किया गया है तथा इसलिए हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।
13. पक्षकारों के अधिवक्ता के निवेदनों पर विचार करने के पश्चात ऐसा परिलक्षित होता है कि याचीगण स्व0 राम लक्ष्मण यादव के उत्तराधिकारीगण है, जो 15-08-2018 को सेवा के दौरान मर गया था तथा तब से, याचीगण याची सं0 1 के पति के वेतन के बकाया तथा अन्य सेवानिवृत्ति बकाया के भुगतान हेतु दावा कर रहे हैं।
14. आरम्भ में रिट याचिका सं0 17506 वर्ष 2018 संस्थित करते हुए इस न्यायालय के समक्ष विवादक को लाया गया था, जिसमें, इसे याची के दावा का विनिश्चय करने के निदेश के साथ निर्णय तथा आदेश दिनांक 14-09-2023 द्वारा अंततः विनिश्चित किया गया था जिसे प्रत्यर्थीगण के आक्षेपित आदेश द्वारा नामंजूर किया गया है।
15. जब यह न्यायालय प्रत्यर्थीगण तथा इसमें लिए गये याचीगण के निवेदनों तथा आधारों को जांच करता है, यह स्पष्ट है कि याचीगण दावों को अस्वीकार करते हुए, संशोधन नियमावली 2003 को ध्यान में रखा गया है, यद्यपि, तत्पश्चात् वर्ष 2006 में, नियमावली 1976 को पुनः संशोधित किया गया है तथा नियमावली 2006 खाता के संबंध में प्रावधान का उपबंध करता है। इस खाता को नियम 2006 के उपनियम 4 में स्पष्ट किया गया है कि यह भविष्यनिधि तथा प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटी के समूह बीमा स्कीम के अभिदाय के संबंध में है तथा आगे प्रावधान प्रबंधकीय खर्चों हेतु प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटी को सहायता उपलब्ध कराना है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



16. प्रकट प्रश्न दो प्रकार का है, पहला यह है कि क्या वेतन का भुगतान नियमावली 2006 के नियम 4 के उप-नियम IV में विहित प्रावधान के अनुसार किया जायेगा तथा दूसरा यह है कि क्या अन्य सेवानिवृत्ति बकाया उक्त खाता के अनुसार देय है।
17. यह प्रश्न पहले ही विशेष अपील त्रुटिपूर्ण सं0 57 वर्ष 2022 में इस न्यायालय के खण्डपीठ के समक्ष प्रकट हुआ था, जिस पर पूर्णतया विचार किया गया है तथा इसमें अभिनिर्धारित किया गया है कि 'खाता' तथा 'प्रबंधकीय खर्च' जैसा नियमावली 2006 में उपबंधित है, प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण सोसायटी को स्पष्ट किया गया है। 'खाता' के संबंध में विवादक का निर्वचन इस न्यायालय के समन्वय खण्डपीठ द्वारा विशेष अपील त्रुटिपूर्ण सं0 57 वर्ष 2022 में किया गया है। वास्तव में इस निर्णय तथा आदेश को चुनौती विशेष अनुमति याचिका सं0 3332 वर्ष 2023 में मा0 शीर्ष न्यायालय के समक्ष दिया गया था, जिसमें, आदेश दिनांक 26.09.2020 को अभिपुष्ट किया गया है।
18. रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी तथा कांडर प्राधिकारी ने नियमावली 2003 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए याची के दावा को नामंजूर किया है तथा अनदेखी किया है कि इसके पश्चात, नियम 2006 को प्रख्यापित किया गया है तथा इसका निर्वचन किया गया है जहाँ तक प्राथमिक सहकारी सोसायटी के कांडर सेक्रेटरियों के वेतन के भुगतान का संबंध है। अब इस समय पर विवादक को निपटाया गया है कि खाता से जैसा नियम 2006 के उप-नियम 3 के अन्तर्गत विहित है, खण्ड प्रबंधकीय सहायता संकेत करता है तथा द्योतित करता है कि यह 'कांडर सेक्रेटरी' के वेतन के भुगतान हेतु अभिप्रेत है।
19. इस मामले को दृष्टिगत रखते हुए, क्रमशः प्रत्यर्थी सं0 2, 3 तथा 4 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 02.11.2023, 01.11.2023 तथा 17.10.2023 असंधार्य है, इस प्रकार, इसे एतद्वारा अभिखंडित किया जाता है।
20. यह उपबंधित किया जाता है कि याची पन्द्रह दिनों के अवधि के अन्दर प्रत्यर्थी सं0 2 के समक्ष नया दावा उठायेगा तथा यदि इस प्रकार के दावा को उठाया जाता है, प्रत्यर्थी सं0 2/आयुक्त तथा रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, अम्बेडकर नगर उ0प्र0 विशेष अपील त्रुटिपूर्ण सं0 57 वर्ष 2022 में पारित निर्णय तथा आदेश दिनांक 26.09.2022 के आलोक में सभी पणधारियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात आठ सप्ताह के आगे अवधि में इस पर विचार तथा विनिश्चय होगा।
21. रिट याचिका को तदनुसार अनुज्ञात किया जाता है।

जनवरी 28, 2026

(श्री प्रकाश सिंह, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"